लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स अभिषेक कुमार सिंह, प्रो0 श्री अभिषेक कुमार सिंह, पिता श्री दयाशंकर सिंह, ग्राम+पो0–सरोजा, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा–852106 द्वारा तिलावे नदी के यूनिट–01 रेत घाट (तुलसिया ब्लॉक–1, डकरा भपटीया ब्लॉक 02 और सीतल–पट्टी ब्लॉक–03, कुल क्षेत्रफल–8.15 हेक्टेयर) ग्राम–भटौनी, भपटीया और कांप, जिला–सहरसा के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 13.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सहरसा जिला के प्रखण्ड सभागार, सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा में लोक–सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2395/2023, के आलोक में श्री ज्योति कुमार, अपर समाहर्त्ता, सहरसा (जिला पदाधिकारी, सहरसा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 13.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड सभागार, सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 10.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पूर्णियाँ द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोकहित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोकहित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब

वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (82 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री श्याम साह, ग्राम–तुलसियाही, जिला–सहरसा।	इनके द्वारा पुछा गया कि कितना पेड़ लगाया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में 82 पेड़ लगाये जायेंगे एवं उनका रख–रखाव संवेदक द्वारा किया जायेगा एवं जो व्यक्ति अपने रैयती जमीन में पेड़ लगाना चाहेंगे, उनको संवेदक द्वारा मुफ्त में पौधा उपलब्ध कराया जायेगा
2.	मो0 शालिम, ग्राम–भटौनी, जिला–सहरसा।	इनके द्वारा पूछा गया कि परियोजना में कितने लोगों को रोजगार मिलगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को लगभग 23 लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।
3.	श्री शिव नन्दन साह, ग्राम–भटपुरा, जिला–सहरसा।	इनके द्वारा पूछा गया कि आम पब्लिक द्वारा यदि बालू खरीदा जायेगा तो कैसे मिलेगा। जिला खनन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि बालू खनन के दौरान निकलने वाले बालू की बिक्री विभाग द्वारा तय कीमत पर एवं चलान द्वारा बिक्री की जायेगी।
4.	श्री अनिल कुमार, ग्राम–भपटियाही, जिला–सहरसा।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन से खनन क्षेत्र का नुकसान तो नहीं होगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा तथा रिवर बैंक से सुरक्षा क्षेत्र तक बालू की निकासी नहीं की जायेगी। हर साल

		मानसून अवधि के दौरान नदी तल से फिर से बालू की भरपाई हो जायेगी और खनन क्षेत्र अपनी मूल स्थलाकृति में हो जायेग, जिससे खनन क्षेत्र का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।
5.	श्री ब्रम्हदेव साह, ग्राम–तुलसीयाही, जिला–सहरसा।	इनके द्वारा खनन प्रस्ताव का समर्थन किया गया तथा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य सभी नियमों के अनुरूप किया जाय।
6.	श्री राजेश साह, ग्राम–तुलसीयाही, जिला–सहरसा।	इनके द्वारा पुछा गया कि बालू परिवहन के दौरान यदि रोड़ खराब होगा तो, कौन बनायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि नदी तट से मुख्य सड़क तक बालू परिवहन के दौरान खराब होने वाले रास्ते (सड़क) की नियमित रूप से मरम्मति कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। NH/SH का मरम्मति कार्य सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा द्वारा कहा गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से तथा सुनवाई के दौरान बताये गये प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के साथ किया जाय, ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

संवेदक श्री अभिषेक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि बालू खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके एवं सभी नियमों के तहत् की जायेगी।

खनिज विकास पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। इस राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आमजनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्णियाँ
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्

अपर समाहर्त्ता,
सहरसा

उपस्थिति सूची

मेसर्स अभिषेक कुमार सिंह, प्रो0 श्री अभिषेक कुमार सिंह, पिता श्री दयाशंकर सिंह, ग्राम + पो0 –सरोजा, थाना – सिमरी बख्तियारपुर, जिला – सहरसा – 852106 द्वारा तिलावे नदी के यूनिट–01 रेत घाट (तुलसिया ब्लॉक 01, डकरा भपटीया ब्लॉक 02 और सीतल–पट्टी ब्लॉक 03, कुल क्षेत्रफल–8.15 हेक्टेयर) ग्राम – भटौनी, भपटीया और कांप, जिला – सहरसा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	J. Kumar	ADM / Saharsha	[signature] 13/9/2023
2.	Sam Kumar	R.O. Purnea B.S.P.C. Board.	[signature] 13/9/23
3.	Arvind Prakash	DMO / Saharsa	[signature] 13/09/23
4.	Sachin Anand	MI / Saharsa	S. Kumar 13/09/2023
5.	Nitish Kumar	P&M Solution, Noida (Env. Consultant)	Nitish K.
6.	Dr. Amit Kumar	B.D.O. S.B.Pur	[signature] 13-09-23
7.	ABHISHEK KUMAR SINGH	Settle Sand Saharsa	Abhishek Kumar 13/09/23
8.	राकेश कुमार	सकरौली वार्ड नं० 07	Rakesh
9.	गौतम कुमार	तरियामा	गौतम
10.	Sukumar Sah	Tariyama	Sukumar Sah

11.	Ravi Ranjan	Tulsiyahi	Ravi
12.	Raj Prem	Tulsiyahi, ward-12	Raj Prem
13.	हीरा कुमार	तुलसियाही, वार्ड-12	हीरा कुमार
14.	मृत्युंजय कुमार	तुलसियाही	मृत्युंजय कुमार
15.	आमिर खान	मोहन	आमिरखान
16.	परमहंस सिंह	टेंगराहा	परमहंस सिंह
17.	शिव मोहन सिंह	रौता	शिव मोहन सिंह
18.	रमेश मुखिया	सरोंजा	रमेश मुखिया
19.	उस्मान पं० उस्मा	मझलिया	उस्मान
20.	मो० मशी नदाफ	मरौनी	मो० मशी नदाफ
21.	सुमन साह	तुलसियाही	सुमन साह
22.	Gita Sharan Bharti	Pahlam	Gitasharan Bharti
23.	उदगार	सरोजा	उदगार
24.	पप्पु कुमार	सरोजा	पप्पु कुमार
25.	लडुरन दास	लडुरन दास	लडुरन दास

26.	प्रभु मुखिया	सरौजा	प्रभु मुखिया
27.	गनेश मुखिया	करवा	गनेश मुखिया
28.	विक्रम मुखिया	करनमा	विक्रम मुखिया
29.	अनिल यादव		अनिल यादव
30.	शिवनन्दन साह	भटपुरा	शिवनन्दन साह
31.	रमेश साह	तुलसियाही	रमेश साह
32.	प्रमोद साह	तुलसियाही	प्रमोद साह
33.	संगम कुमार	तुलसियाही	संगम कुमार
34.	मो० सालिम	मरौनी	मो० सालिम
35.	श्याम साह	तुलसियाही	श्याम साह
36.	अशोक शर्मा	मधुबनी	अशोक शर्मा
37.	सुरेन्द्र शर्मा	मरौनी	सुरेन्द्र शर्मा
38.	विकास कुमार	मरौनी	विकास कुमार
39.	राजीव कुमार [illegible]	हेमरदा	राजीव कुमार [illegible]
40.	अनिल यादव	सुहथ	अनिल यादव

41.	चन्दन कुमार राम	पचमसैनी नेकटोलिया	चन्दन कुमार
42.	Bikram Kumar	Bhatpura	Bikram Kumar
43.	Chiuck Kumar	Bhatpura	Chikeck Kumar
44.	मिथिलेश गुप्ता	तुलसियाही	मिथिलेश गुप्ता
45.	MANISH KUMAR	Tulsiyani ghat	manish kumar
46.	ब्रह्मदेव साह	तुलसियाही	ब्रह्मदेव साह
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			